न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग

प्र0सं0, 70/2025,(जी.सी.एम.एस. न. 2025/14) पीठासीन अधिकारी **श्री देवी सिंह** (R.A.S)

उनवान

1. अनिल पुत्र खेमचन्द
2. अभिशेक दौहित्रा हुकमचन्द
3. ऊषा पुत्री हुकमचन्द
4. ओमप्रकाश पुत्र अंगना
5. कमला पुत्री पुन्नी
6. कलावती पत्नी भूरी सिंह
7. कशमीरा देवी पत्नी भगवत प्रसाद
8. किशनप्यारी पुत्री पुन्नी
9. गुड्डी पुत्री महावीर
10. गणेश पुत्र सतपाल
11. तन्नू पुत्री योगेश नावा0 जरिये संरक्षक माधुरी पत्नी योगेश माता
12. दीना यादव दौहित्रा हुकमचन्द
13. धर्म सिंह पुत्र धारा
14. धारा सिंह पुत्र भगवत प्रसाद
15. नीरज पुत्री सतपाल
16. नीशा पुत्री खेमचन्द
17. पूजा पुत्री सतपाल
18. पूनम पुत्री सतपाल
19. पुनिया देवी पत्नी भगवत प्रसाद
20. प्रेम सिंह पुत्र महावीर
21. बॉबी पुत्री भूरी सिंह
22. बिल्ला देवी पत्नी धारा
23. मछला पुत्री भूरी सिंह
24. मैना पुत्री योगेश नावा0 जरिये संरक्षक माधुरी पत्नी योगेश माता
25. महक पुत्री योगेश नावा0 जरिये संरक्षक माधुरी पत्नी योगेश माता
26. महेश चन्द जाटव पुत्र भगवत प्रसाद
27. माधुरी पत्नी योगेश
28. मान सिंह पुत्र पुन्नी
29. मिथलेश पुत्री खैमचन्द
30. रवि पुत्र भूरी सिंह
31. राकेश कुमार पुत्र भगवत प्रसाद
32. राजवीर पुत्र भूरी सिंह
33. रानू दौहित्रा धारा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

34. रामबाबू पुत्र महावीर
35. लक्ष्मी पुत्री कलुआ
36. लज्जा पुत्री कलुआ
37. लज्जादेवी पत्नी खैमचन्द
38. वीरवती पत्नी सतपाल
39. श्रीचन्द पुत्र पुन्नी
40. शिवानी पुत्री धारा
41. शिवानी जाटव दौहित्री हुकमचन्द
42. सचिन पुत्र खैमचन्द
43. संधो दोहित्री हुकमचन्द
44. सुनयना दोहित्री धारा
45. सपना पुत्री खैमचन्द
46. सुमन पुत्री खैमचन्द
47. सुशील कुमार पुत्र भगवत प्रसाद
48. सीता पुत्री हुकमचन्द
49. सोहनलाल पुत्र पुन्नी
50. हरदम पुत्र भूरी सिंह
51. अंगूरी पत्नी विस्सूराम
52. सुखदर्शन
53. सुन्दर } पुत्रगण बिस्सूराम
54. धर्मवती पुत्री बिस्सूराम
55. रेशम पत्नी धर्मपाल पुत्र बिस्सूराम
56. सौरभ पुत्र धर्मपाल पुत्र बिस्सूराम
57. सोनम पुत्री धर्मपाल पु. बिस्सूराम
58. मंजू पत्नी बिजेन्द्र पुत्र बिस्सूराम
59. संगीता
60. शिवानी
61. निकिता } पुत्रियां बिजेन्द्र पुत्र बिस्सूराम
62. मीनू

(51 से 62 तक) } वारिस व काबिज जायदाद बिस्सूराम पुत्र अंगना

जातियान जाटव नि0 साद मौहल्ला कस्बा डीग तहसील व जिला डीग(राज0)

-वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला डीग(राज0)

-प्रति0

दावा बावत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89
राज0 टि0 एक्ट,

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांकः 07.05.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बरान 1370/0.55, 1372/0.71, 1374/0.11, 1375/0.32, 1376/0.26, वाके कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग में स्थित है। हाल बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बर 1232 रकबा 1 वीघा 2 विस्वा, 1233 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा, 1234 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा,1235 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा,1236 रकबा 15 विस्वा, 1240 रकबा 3 वीघा 6 विस्वा, 1241 रकबा 1 वीघा 17 विस्वा, 1242 रकबा 18 विस्वा, 1243 रकबा 18 विस्वा, 1244 रकबा 2 वीघा 10 विस्वा वाके ग्राम कस्बा डीग तहसील डीग के बदले में बनाये गये है। वादीगण के पूर्वज हरलाल पुत्र बूचा व कारे,अंगना पुत्रगण रामहेत की कब्जे काश्त गैर मौरूसी की आराजी थी जिस पर अपने जीवनकाल में उक्त हरलाल पुत्र बूचा व कारे,अंगना पुत्रगण रामहेत वाहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते थे जिनकी मृत्यु के बाद विरास्तदर विरासत वादीगण काबिज होकर काश्त करते है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण विवादित आराजी के अभिलिखित गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण को उक्त आराजी विरासतसे अपने उक्त पूर्वजों से प्राप्त हुई है। जिस पर वादीगण काबिज होकर लगातार काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के उक्त पूर्वज राजस्थान काश्तकारी कानून प्रभाव में आने के समय तत्कालीन राजस्व रिकार्ड में गैर मौरूसी काश्तकार दर्ज रिकार्ड थे जिन्हें मुताविक कानून धारा 15 व 19 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पूर्वजों को गैर मौरूसी दर्ज होने के बाद तत्समय के राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है,कानूनन वादीगण ने विवादित आराजी की बावत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है और वादीगण अपने आपको गैर खातेदार के स्थान पर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदार घोषित कराकर दर्ज करा पाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान 1370/0.55, 1372/0.71, 1374/0.11, 1375/0.32, 1376/0.26 वाके कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग पर वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर गैर खातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 29.01.2025 जबाव सरकार पेश हुआ।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः-

1. आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र के अपने आपको गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. दादरसी?

साक्ष्य वादीगण में वादी पीडब्ल्यू-1 में धारा सिंह पुत्र भगवत प्रसाद व पीडब्ल्यू-2 में सुनील पुत्र तुलाराम व पीडब्ल्यू-3 में मिथुन पुत्र रामजीलाल व पीडब्ल्यू-4 में गणेश पुत्र सतपाल के बयान पंजीबद्ध किये गये। वादीगण के वकील के अनुरोध पर साक्ष्य वादीगण बंद की जाकर प्रकरण को वास्ते बहस रखा गया। चूंकि प्रकरण गैर खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

से खातेदारी प्राप्त किये जाने से सम्बन्धित है। जिसमें मौका,कब्जा,रिकार्ड की रिपोर्ट तहसीलदार डीग से तलब की गई। जोकि तहसीलदार डीग के पत्रांक:भू.अ./2025/984 दिनांक 28.04.2025 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। दावे पर वकील वादीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

हमने वादीगण के वादपत्र,पैरोकार सरकार के जबाव दावे,गवाह पीडब्ल्यू-1 धारा सिंह पुत्र भगवत प्रसाद,पीडब्ल्यू-2 सुनील पुत्र तुलाराम पीडब्ल्यू-3 मिथुन पुत्र रामजीलाल,पीडब्ल्यू-4 गणेश पुत्र सतपाल के बयान,प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 कस्बा डीग के खसरा नम्बर 1370/0.55 किस्म बारानी-प्रथम, 1372/0.71 डहरी प्रथम, 1374/0.11 डहरी प्रथम, 1375/0.32 डहरी प्रथम,1376/0.26 डहरी प्रथम वादीगण संख्या 1 लगायत 62 के नाम गैर खातेदारी दर्ज है।

प्रदर्श-2, भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1370/0.55 साविक खसरा नम्बर 1232 रकबा 1 वीघा 2 विस्वा, 1233 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा, 1234 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा, 1235 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा, 1236 रकबा 15 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 1372/0.71 साविक खसरा नम्बर 1240 मिन रकबा 3 वीघा 6 विस्वा, 1241 रकबा 1 वीघा 17 विस्वा, 1242 रकबा 18 विस्वा से बना है। हाल खसरा नम्बर 1374/0.11 साविक खसरा नम्बर 1243 रकबा 18 विस्वा से बना है। हाल खसरा नम्बर 1375/0.32 साविक खसरा नम्बर 1244 रकबा 2 वीघा 10 विस्वा से बना है। हाल खसरा नम्बर 1376/0.26 साविक खसरा नम्बर 1240 मिन से बना है।

प्रदर्श-3, जमाबन्दी सम्बत 2029 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 1231, 1233, 1234, 1236, 1241, 1243, 1244 खाता संख्या 602, 1240 खाता संख्या 604, 1235 खाता संख्या 605 पर वादीगण के पूर्वज के नाम गैर मौरोसी,शिकमी दर्ज है।

प्रदर्श-4, जमाबन्दी सम्बत 2014 में भी उक्त साविक खसरा नम्बर के इन्द्राज वादीगण के पूर्वजों के नाम गैर मौरोसी व शिकमी के रूप में खातेदारी दर्ज है। सभी साविक खसरा नम्बर की किस्म बारानी है।

प्रदर्श-5, खसरा गिरदावरी सम्बत 2077 से 2080 में वादग्रस्त भूमि के हाल खसरा नम्बर में सम्बत 2078, 2079, 2080 में फसल काश्त दर्ज है।

तहसीलदार डीग से दिनांक 28.04.2025 को वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर की रिकार्ड,मौके,कब्जे के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसके अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है।

राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः-

<u>**तनकी संख्याः-1,**</u> आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र अपने आपको गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

प्रदर्श-1, जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 कस्बा डीग के हाल खसरा नम्बर 1370/0.55, 1372/0.71, 1374/0.11, 1375/0.32, 1376/0.26 किस्म बारानी प्रथम, डहरी प्रथम वादीगण संख्या 1 लगायत 62 के नाम गैर खातेदारी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

प्रदर्श-2,भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041 के अनुसार वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बरान साविक खसरा नम्बर 1232 रकबा 1 वीघा 2 विस्वा,1233 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा, 1234 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा, 1235 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा,1236 रकबा 15 विस्वा,1240 मिन रकबा 3 वीाा 6 विस्वा, 1241 रकबा 1 वीघा 17 विस्वा, 1242 रकबा 18 विस्वा, 1243 रकबा 18 विस्वा, 1244 रकबा 2 वीघा 10 विस्वा से बनना प्रदर्शित है।

प्रदर्श-3,जमाबन्दी सम्बत 2029 व प्रदर्श-4 जमाबन्दी सम्बत 2014 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के साविक खसरा नम्बर की भूमि वादीगण के पूर्वजों वादपत्र में संलग्न सजरा वारिसान अनुसार गैर मौरोसी व शिकमी काश्त दर्ज है।

प्रदर्श-5, खसरा गिरदावरी सम्बत 2077-2080 में वादग्रस्त भूमि के हाल खसरा नम्बर में वादीगण की सम्बत 2078, 2079, 2080 में फसल काश्त दर्ज है।

तहसीलदार डीग की रिकार्ड,मौके कब्जे के सम्बन्ध में दिनांक 28.04.2025 की प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि के हाल खसरा नम्बर पर वादीगण की है गैर खातेदारी एवं कब्जा काश्त भी वादीगण का ही है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्याः-2,</u> दादरसी?

उभय पक्षकार अपना अपना वाद खर्च स्वयं वहन करेंगे।

तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है।

उपर्युक्त विवरण अनुसार दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश है किः-

वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर **स्वीकार** किया जाकर डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 1370/0.55, 1372/0.71, 1374/0.11, 1375/0.32, 1376/0.26 वाके कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर खातेदार के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार,डीग राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वादीगण पर कोई नियमानुसार राजकीय शुल्क तो बकाया नहीं है,अगर राजकीय शुल्क बकाया हो तो सम्बन्धित वादीगण से नियमानुसार शुल्क/राशि जमा राजकोष कराई जाकर वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। चूँकि वर्तमान में उक्त आराजी नगर पालिका डीग के अन्तर्गत होने के कारण वादीगण को राजकीय शुल्क नियमानुसार जमा राजकोष कराये जाने पर उक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी डीग (भ.) राज.

निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को खुल न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी डीग (भ.) राज.

Scanned with OKEN Scanner